

समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह पे० स्व० अमरेश्वर प्रसाद सिंह, सा०+थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा ने आवेदन देकर संसूचित किया है कि रायफल अनुज्ञप्ति सं०-574/71 पर धारित रायफल सं०-318103 एवं पिस्टल अनुज्ञप्ति सं०-82/2806/02 पर धारित पिस्टल सं०-116964 को मेसर्स नवीन आर्म्स, पटना के हाथ बिक्री करने की स्वीकृति दी गई थी। शस्त्र लेनेवाले प्रतिष्ठान का नाम गलत अंकित होने के कारण शस्त्र बिक्री नहीं हो पायी है। उनके द्वारा प्रतिष्ठान का नाम मेसर्स नवीन आर्म्स, पटना के स्थान पर नवीन एण्ड कम्पनी, पटना-3 अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव श्री सिंह से प्राप्त अनुरोध पत्र के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापक 99/श०, दिनांक 22-09-2016 के द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मेसर्स नवीन आर्म्स, पटना के स्थान पर नवीन एण्ड कम्पनी, पटना-3 अंकित किया जाता है। उक्त आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

80/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक.....75...../श०, मधेपुरा, दिनांक.....07-04-2017.....

प्रतिलिपि : श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह पे० स्व० अमरेश्वर प्रसाद सिंह, सा०+थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा/ नवीन एण्ड कम्पनी, पटना-3/ अनुमंडल दंडाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।